

फर्द अहकाम (नियम 26)  
 अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर  
 बूटासिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा व राज्य  
 अपील इंतकाल प्रकरण सं० 80/2016



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
24-11-16	अपीलांटस के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति पर विचार करते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में मियाद के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27-12-16 को पेश हो।	N.I. 1011 2995 28.11.16
27.12.16	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्य. की व्यवस्था पत्रावली दिनांक 27.02.17 को पेश हो।	रेस्पों. सं. 126 की ओर ले श्री जीकुल स्वामी, Adv में पत्रावली दिनांक 27.02.17 को पेश किया, बा. सं. सिफल हो
7.02.17	अभिभाषक उच्च पक्ष उपस्थित। रिकॉर्ड ब्रिफ, फुल तलब करें। पत्रावली दिनांक 14.03.17 को पेश हो।	448 9.02.17
14.03.17	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशा. पर पत्रावली दिनांक 14.04.17 को पेश हो।	
24.04.17	अभिभाषक उच्च पक्ष उपस्थित। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 08.06.17 को पेश हो।	1160 24.04.17
8.06.17	अभिभाषक उच्च पक्ष उपस्थित। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 06.7.17 को पेश हो।	
6.7.17	अभिभाषक उच्च पक्ष उपस्थित। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 11.8.17 को पेश हो।	

राज्यपाल कार्यालय काठमाडौं  
पत्रावली नं. १७५/२०  
दिनांक १६/५/२० को पत्र हो

१६/५/२० बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण  
आज अभियोग उपस्थित नहीं आ रहे हैं।  
पीठारीन अधिकारी .....  
है पत्रावली दिनांक १७/५/२० को पत्र है।

२५/५/२० पत्रावली नं. १७५/२० को पत्र है।  
राज्यपाल कार्यालय काठमाडौं  
पत्रावली नं. १७५/२० को पत्र है।  
दिनांक १६/५/२० को पत्र है।

१६/५/२० बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण  
आज अभियोग उपस्थित नहीं आ रहे हैं।  
पीठारीन अधिकारी .....  
है पत्रावली दिनांक १७/५/२० को पत्र है।

३१/५/२०२०  
पत्रावली पत्रावली नं. १७५/२० को पत्र है।  
अधिवक्ता अपीलान्त  
उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलान्त को  
पृथक-पृथक समय पर रूप-रूप कर  
वार-वार आवेजें लगाई गईं, लेकिन  
वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में  
अपील अडम हाजरी, अडम पेशी में  
शपाथ की जाती है। अधिवक्ता की प्रति  
सम्बन्धित तहसीलदार को चालनाथ  
भिरवाई जाये एवं रिपोर्ट लौटाया जाये।  
पत्रावली नं. १७५/२० को पत्र है।  
से काम की जाये व वाड तहसील जिला  
कमिश्नरीवाग में अमा कराई जाये।  
अडम सुकपा मया

५  
राज्यपाल कार्यालय काठमाडौं  
१७/५/२०